

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:—एफ 15 (6) 2017-18 / गोप्र / प्रमुवसं / दिनांक:—
निमित्त,

समस्त मुख्य वन संरक्षक गण

विषय:— सर्वेयर फील्डमैन से कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर वर्ष 2017-18
की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किए जाने
के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सर्वेयर फील्डमैन से कनिष्ठ
अभियन्ता के पद पर वर्ष 2017-18 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित
की जानी है। अतः आपके वृत्ताधीन दिनांक 31.3.2014 तक नियुक्त सर्वेयर/फील्डमैन
के संबंध में वॉछित सूचना निर्धारित प्रपत्र में मय शपथ पत्र सहित एवं वर्ष 2010-11 से
2016-17 तक की मूल ए.सी.आर. (सम्पूर्ण डोजियर नहीं), इस कार्यालय को शीघ्र
भिजवावें ताकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किया जाना संभव हो
सके।

संलग्न:—निर्धारित प्रपत्र

संतान संबंधी शपथ पत्र

भवदीय

(नरेश चन्द शर्मा)

उप वन संरक्षक (प्रस्था.अरा.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज.जयपुर

क्रमांक:—एफ 15 (6) 2017-18 / गोप्र / प्रमुवसं / 6396/c दिनांक:—13.1.1.2018
✓ प्रतिलिपि प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभाग की
बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु।

(नरेश चन्द शर्मा)

उप वन संरक्षक (प्रस्था.अरा.)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज.जयपुर

प्रपत्र

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पिता का नाम	जन्म तिथि	सेवापुस्तिका में अंकित गृह जिला	नियुक्ति तिथि		योग्यता	
					राज्य सेवा में	संवर्ग में	शैक्षणिक	तकनीकी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सीसीए नियम 1958 के तहत लम्बित विभागीय जाँच/भ्र.नि.ब्यूरो में लम्बित केस/लम्बित कोर्ट केस का विस्तृत विवरण	दिनांक 31.03.2010 के बाद दिये गये दण्ड का विवरण	जीवित संतानों की संख्या (सम्बन्धित वनपाल से 10/- रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।)		पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
		31.05.2002 को	31.05.2002 के बाद उत्पन्न हुई संतान		
10	11	12	13	14	15

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी